

प्रश्न 5.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि इसपर आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर सूचक एवं सूचक के परिवार वाले के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें शहनवाज हुसैन, सलाउद्दी, जन्नती खातुन, रूकैदा खातुन को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 6.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर सूचक के घर में रखे समान को भी तोड़-फोड़ किये। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 7.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि हल्ला पर बहुत से ग्रामीण आये तो आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर भागने के क्रम में मो० अफजल रूकैदा के गले से सोने का चैक, सूचक शहनवाज हुसैन के जेब से 1100/- नगद ले लिए तथा धमकी दिये कि ज्यादा ईधर-उधर करेगा तो जान से मार देगे। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

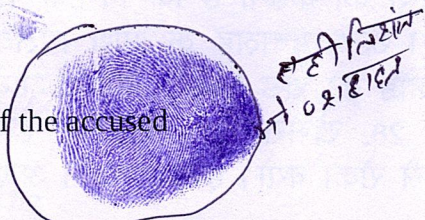
प्रश्न 8.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से सभी जख्मी को ईलाज हेतु लाया गया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 9.— सफाई में आपको क्या कहना है ?

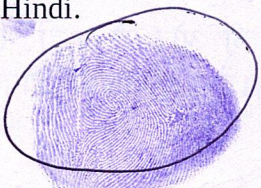
उत्तर :- मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूँ। सफाई साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ।

Signature of mark of the accused



(Brajesh Kumar Singh)
Signature of Addl. Sessions Judge – II,
Begusarai
27.05.2026

This above examination was taken in my presence, and hearing. It contains a full and true account of the statements made by the accused. It was read over to the accused and explained to the accused in Hindi.



(Brajesh Kumar Singh)
Distt. & Additional Sessions Judge-II,
Begusarai
27.05.2026

FORM OF RECORDING EXAMINATION ACCUSED
EXAMINATION OF ACCUSED PERSON

ब्यान मुदालह

(Section 342 of the Criminal Proedure Code)

S.T. Case No. 621/ 2025

The Examination of the accused—मो० फूलहसन aged 22 years is taken before me, Brajesh Kumar Singh, Addl. Sessions Judge-II, Begusarai On the 27th Day of May, 2026 in Hindi to the accused.

My Name is मो० फूलहसन s/o मो० केशमुल My age is 22 years. I am by religion इस्लाम my nationality is भारतीय and I do not belong to the Schedule case/ Sehedule Tribe. I am by occupation खेती

My home is at mauza ऐजनी Public Station छौडाही District बेगूसराय

प्रश्न1. :- क्या आपने गवाहों का ब्यान सुना है ?

उत्तर :- जी हों।

प्रश्न2. क्या आपको ज्ञात है कि आपके विरुद्ध अभियोजन ने सात (7) गवाहों की गवाही कराई है, जिनका नाम P.W-1—जन्नती खातुन, P.W-2—सम्मा गजाला, P.W-3—मो० शाहनवाज, P.W-4—मो० सलाउद्दीन, P.W-5—मो० कमरूल P.W-6—मो० असरफ एवं P.W-7—डॉ० कमलेश कुमार है। आपके विरुद्ध अभियोजन ने प्रदर्श-01 आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर एवं प्रदर्श-02, 2-A, 2-B जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उत्तर :- जी हों। लेकिन मैं उक्त साक्ष्य को अस्वीकार करता हूँ।

प्रश्न 3.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि दिनांक 19.09.2022 को समय करीब 08.00 बजे सुबह में आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर सूचक शहनवाज हुसैन के घर पर लाठी, डंडा, लोहे का रॉड से लैस होकर आये तथा गाली गलौज करते हुए बोले कि खाता नं० 28, खेसरा नं० 1603 पर हमलोग दिवार निर्माण करने गये थे तो निर्माण करने से रोका क्यों। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 4.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि सूचक की ओर से कहा गया कि वह गैरमजरूआ जमीन है तथा आने-जाने का रास्ता है। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

md phool Hasan

प्रश्न 5.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि इसपर आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर सूचक एवं सूचक के परिवार वाले के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें शहनवाज हुसैन, सलाउद्दी, जन्नती खातुन, रूकैदा खातुन को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 6.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर सूचक के घर में रखे समान को भी तोड़-फोड़ किये। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 7.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि हल्ला पर बहुत से ग्रामीण आये तो आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर भागने के क्रम में मो० अफजल रूकैदा के गले से सोने का चैक, सूचक शहनवाज हुसैन के जेब से 1100/- नगद ले लिए तथा धमकी दिये कि ज्यादा ईधर-उधर करेगा तो जान से मार देगे। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 8.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से सभी जख्मी को ईलाज हेतु लाया गया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 9.— सफाई में आपको क्या कहना है ?

उत्तर :- मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूँ। सफाई साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ।

Signature of mark of the accused

md phool hussain

This above examination was taken in my presence, and hearing. It contains a full and true account of the statements made by the accused. It was read over to the accused and explained to the accused in Hindi.

md phool hussain

(Brajesh Kumar Singh)
Signature of Addl. Sessions Judge – II,
Begusarai
27.05.2026

(Brajesh Kumar Singh)
Distt. & Additional Sessions Judge-II,
Begusarai
27.05.2026

FORM OF RECORDING EXAMINATION ACCUSED
EXAMINATION OF ACCUSED PERSON

ब्यान मुदालह

(Section 342 of the Criminal Proedure Code)

S.T. Case No. 621/ 2025

The Examination of the accused—मो० नियाज aged 35 years is taken before me, Brajesh Kumar Singh, Addl. Sessions Judge-II, Begusarai On the 27th Day of May, 2026 in Hindi to the accused.

My Name is मो० नियाज s/o मो० सहादत My age is 35 years. I am by religion इस्लाम my nationality is भारतीय and I do not belong to the Schedule case/ Sehedule Tribe. I am by occupation गाड़ी चलाते है।

My home is at mauza ऐजनी Public Station छौडाही District बेगूसराय।

प्रश्न1. :- क्या आपने गवाहों का ब्यान सुना है ?
उत्तर :- जी हाँ।

प्रश्न2. क्या आपको ज्ञात है कि आपके विरुद्ध अभियोजन ने सात (7) गवाहों की गवाही कराई है, जिनका नाम P.W-1—जन्नती खातुन, P.W-2—सम्मा गजाला, P.W-3—मो० शाहनवाज, P.W-4—मो० सलाउद्दीन, P.W-5—मो० कमरुल P.W-6—मो० असरफ एवं P.W-7—डॉ० कमलेश कुमार है। आपके विरुद्ध अभियोजन ने प्रदर्श-01 आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर एवं प्रदर्श-02, 2-A, 2-B जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

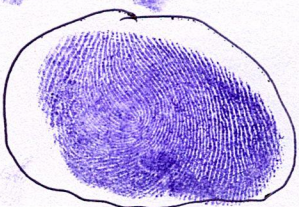
उत्तर :- जी हाँ। लेकिन मैं उक्त साक्ष्य को अस्वीकार करता हूँ।

प्रश्न 3.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि दिनांक 19.09.2022 को समय करीब 08.00 बजे सुबह में आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर सूचक शहनवाज हुसैन के घर पर लाठी, डंडा, लोहे का रॉड से लैस होकर आये तथा गाली गलौज करते हुए बोले कि खाता नं० 28, खेसरा नं० 1603 पर हमलोग दिवार निर्माण करने गये थे तो निर्माण करने से रोका क्यों। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 4.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि सूचक की ओर से कहा गया कि वह गैरमजरूआ जमीन है तथा आने-जाने का रास्ता है। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।



मो० नियाज
मो० सहादत

प्रश्न 5.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि इसपर आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर सूचक एवं सूचक के परिवार वाले के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें शहनवाज हुसैन, सलाउद्दी, जन्नती खातुन, रूकैदा खातुन को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 6.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर सूचक के घर में रखे समान को भी तोड़-फोड़ किये। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 7.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि हल्ला पर बहुत से ग्रामीण आये तो आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर भागने के क्रम में मो0 अफजल रूकैदा के गले से सोने का चैक, सूचक शहनवाज हुसैन के जेब से 1100/- नगद ले लिए तथा धमकी दिये कि ज्यादा ईधर-उधर करेगा तो जान से मार देगे। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 8.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से सभी जख्मी को ईलाज हेतु लाया गया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 9.— सफाई में आपको क्या कहना है ?

उत्तर :- मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूँ। सफाई साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ।

Signature of mark of the accused



ब्रजेश कुमार सिंह
मो. 98112 11111

(Brajesh Kumar Singh)
Signature of Addl. Sessions Judge – II,
Begusarai
27.05.2026

This above examination was taken in my presence, and hearing. It contains a full and true account of the statements made by the accused. It was read over to the accused and explained to the accused in Hindi.



ब्रजेश कुमार सिंह
मो. 98112 11111

(Brajesh Kumar Singh)
Distt. & Additional Sessions Judge-II,
Begusarai
27.05.2026

FORM OF RECORDING EXAMINATION ACCUSED
EXAMINATION OF ACCUSED PERSON

ब्यान मुदालह

(Section 342 of the Criminal Proedure Code)

S.T. Case No. 621/ 2025

The Examination of the accused—मो० नुजमुन खातुन aged 55 years is taken before me,
Brajesh Kumar Singh, Addl. Sessions Judge-II, Begusarai On the 27th Day of May,
2026 in Hindi to the accused.

My Name is मो० नुजमुन खातुन w/o मो० फुलहसन My age is 55 years. I am by
religion इस्लाम my nationality is भारतीय and I do not belong to the Schedule
case/ Schedule Tribe. I am by occupation गृहिणी

My home is at mauza ऐजनी Public Station छौडाही District बेगूसराय

प्रश्न1. :- क्या आपने गवाहों का ब्यान सुना है ?

उत्तर :- जी हों।

प्रश्न2. क्या आपको ज्ञात है कि आपके विरुद्ध अभियोजन ने सात (7) गवाहों की गवाही
कराई है, जिनका नाम P.W-1—जन्नती खातुन, P.W-2—सम्मा गजाला, P.W-
3—मो० शाहनवाज, P.W-4—मो० सलाउद्दीन, P.W-5—मो० कमरुल P.W-
6—मो० असरफ एवं P.W-7—डॉ० कमलेश कुमार है। आपके विरुद्ध अभियोजन ने
प्रदर्श-01 आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर एवं प्रदर्श-02, 2-A, 2-B जख्म
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उत्तर :- जी हों। लेकिन मैं उक्त साक्ष्य को अस्वीकार करता हूँ।

प्रश्न 3.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि दिनांक 19.09.2022 को समय
करीब 08.00 बजे सुबह में आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर सूचक शहनवाज
हुसैन के घर पर लाठी, डंडा, लोहे का रॉड से लैस होकर आये तथा गाली गलौज
करते हुए बोले कि खाता नं० 28, खेसरा नं० 1603 पर हमलोग दिवार निर्माण
करने गये थे तो निर्माण करने से रोका क्यों। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 4.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि सूचक की ओर से कहा गया
कि वह गैरमजरूआ जमीन है तथा आने-जाने का रास्ता है। इस संबंध में आपको
क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।



मो० नुजमुन खातुन

प्रश्न 5.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि इसपर आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर सूचक एवं सूचक के परिवार वाले के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें शहनवाज हुसैन, सलाउद्दी, जन्नती खातुन, रूकैदा खातुन को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 6.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर सूचक के घर में रखे समान को भी तोड़-फोड़ किये। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 7.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि हल्ला पर बहुत से ग्रामीण आये तो आप अन्य मुदालह के साथ मिलकर भागने के क्रम में मो0 अफजल रूकैदा के गले से सोने का चेक, सूचक शहनवाज हुसैन के जेब से 1100/- नगद ले लिए तथा धमकी दिये कि ज्यादा ईधर-उधर करेगा तो जान से मार देगे। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

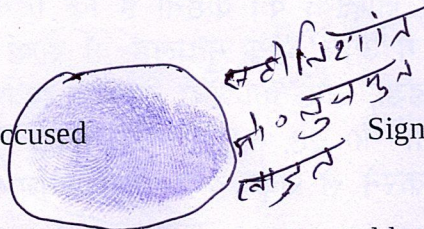
प्रश्न 8.— आपके विरुद्ध अभियोजन साक्षियों का कहना है कि उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से सभी जख्मी को ईलाज हेतु लाया गया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर :- यह तथ्य गलत है।

प्रश्न 9.— सफाई में आपको क्या कहना है ?

उत्तर :- मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूँ। सफाई साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ।

Signature of mark of the accused



(Brajesh Kumar Singh)

Signature of Addl. Sessions Judge – II,
Begusarai
27.05.2026

This above examination was taken in my presence, and hearing. It contains a full and true account of the statements made by the accused. It was read over to the accused and explained to the accused in Hindi.



(Brajesh Kumar Singh)
Distt. & Additional Sessions Judge-II,
Begusarai
27.05.2026